न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,भ्र 0 नि0,सी0 बी0 आई 0 कोर्ट नं0–1

लखनऊ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-9474/2022

CNR N0. UPLK01016035-2022

1. **जितेन्द्र कुमार निषाद,** उम्र 48 वर्ष, पुत्र श्री बांके लाल, निवासी ग्राम 35/24/1, करेला बाग, इलाहाबाद(प्रयागराज).

2. **नरसिंह कुमार निषाद,** उम्र 47 वर्ष, पुत्र प्रदुम लाल, निवासी 110/18, शदियापुर, मीरापुर, इलाहाबाद(प्रयागराज).

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सी०बी०आई/ए०सी०बी०, लखनऊ

.....विपक्षी/अभियोगी

आर०सी०संख्या–0062005A0020/2005
अं0 धारा– 120B, 420,468,471 IPC
व धारा 13(2), 13(1)(d) of PC Act 1988
थाना–सी०बी०आई/ए०सी०बी०, लखनऊ

दिनाँक–09.11.2022

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार निषाद व नरसिंह कुमार निषाद की ओर से उक्त वर्णित धाराओ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर उपरोक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में जितेन्द्र कुमार निषाद का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत वाद RC N0.0062005A0020/2005 सी0 बी0 आई 0,लखनऊ, अन्तर्गत धारा 120–बी, 420,467,468,471 भा0 द 0 सं0 एवं 13(2) सपठित धारा-13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, श्री महेन्द्र नाथ वर्मा व अन्य के विरूद्ध V.V. Ganiga, Deputy General Manager (Vigilance), State Bank of India, Vigilance Department, Local Head office, Lucknow की लिखित शिकायत के आधार पर प्रस्तुत वाद पंजीकृत किया। प्राथमिकी में यह आरोप है कि अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक सी०एम०पी० डिग्री कालेज शाखा, इलाहाबाद के शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुये जनवरी 2004 से मार्च 2005 के दौरान बैंक के नियमों व निर्देशों का पालन किये बिना फर्जी कूटरचित अभिलेखों के आधार पर अस्तित्वहीन ऋणकर्ताओं को 37 आवासीय ऋण स्वीकृत किये। ऋण प्राप्त कर्ताओं ने ऋण की धनराशि में से आवासीय निर्माण नहीं कराया केवल मार्जिनल निर्माण करवाया। अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने बिना पोस्ट सर्वे के ऋणकर्ताओं का ऋण स्वीकृत किया। सह–अभियुक्तगण द्वारा आवासीय ऋण की धनराशि को आहरित कर लिया गया तथा उनके द्वारा पर्याप्त निर्माण कार्य नहीं किया गया व ऋण की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक सी०एम०पी० डिग्री कालेज शाखा, इलाहाबाद के शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुये सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुये बैंक को रूपये 1.70 लाख (approx) की आर्थिक क्षति पहुँचाई।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। सी०बी०आई० द्वारा उसे प्रश्नगत मामले में झूठा व फर्जी फंसा दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.09.2008 के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गयी थी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस तथ्य से पूर्णतया अनभिज्ञ थे कि उनके द्वारा दाखिल याचिका निरस्त गयी है और वाद न्यायालय में लम्बित है। एकाएक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्व दिनांक 30.9.2022 को गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया। अन्य सह–अभियुक्त जफर मसूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.09.2022 के अनुसार अन्तरिम जमानत पर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वह किसी अन्य केस में वांछित है। उनकी समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है। उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है तथा उचित प्रतिभू भी देने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

लोक अभियोजक सी०बी०आई० की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण वी०वी०गनिगा, डिप्टी जनरल मैनेजर (विजिलेन्स), स्टेट बैंक आफ इंडिया, लोकल हेडआफिस, लखनऊ की लिखित शिकायत के आधार पर प्रस्तुत वाद पंजीकृत किया। प्राथमिकी में यह आरोप है कि अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक सी०एम०पी० डिग्री कालेज शाखा, इलाहाबाद के शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुये जनवरी 2004 से मार्च 2005 के दौरान बैंक के नियमों व निर्देशों का पालन किये बिना फर्जी कूटरचित अभिलेखों के आधार पर अस्तित्वहीन ऋणकर्ताओं को 37 आवासीय ऋण स्वीकृत किये। ऋण प्राप्त कर्ताओं ने ऋण की धनराशि में से आवासीय निर्माण नहीं कराया केवल मार्जिनल निर्माण करवाया। अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने बिना पोस्ट सर्वे के ऋणकर्ताओं का ऋण स्वीकृत किया। सह–अभियुक्तगण द्वारा आवासीय ऋण की धनराशि को आहरित कर लिया गया तथा उनके द्वारा पर्याप्त निर्माण कार्य नहीं किया गया व ऋण की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त एम०एन०वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक सी०एम०पी० डिग्री कालेज शाखा, इलाहाबाद के शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुये सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुये बैंक को रूपये 1.70 लाख (approx) की आर्थिक क्षति पहुँचाई। अभियुक्त एम०एन०वर्मा द्वारा सह–अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार निषाद व नरसिंह कुमार निषाद को आवासीय निर्माण हेतु फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से ऋण प्रदान किया गया। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सी0बी0आई0 की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक अधिकारी के तर्कों को सुना तथा संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह मुख्य आक्षेप यह लगाया गया है कि अभियुक्त महेन्द्र नाथ वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक, सी०एम०पी०, शाखा–इलाहाबाद में अपने

कार्यकाल के दौरान बतौर शाखा प्रबन्धक व लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुये सह–अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके बेईमानीपूर्वक बैंक को धोखा देकर कूटरचित फर्जी आयकर विवरणीय (आई०टी०आर०) के आधार पर बैंक मैनुअल के नियमों के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार निषाद एवं नरसिंह कुमार निषाद को आवासीय ऋण प्रदान कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुँचायी तथा स्वयं व अन्य सह–अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

अतः मामले के गुणदोष पर किसी भी प्रकार का कोई मत व्यक्त किये बिना व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार निषाद एवं नरसिंह कुमार निषाद**, द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कविता मिश्रा)
अपर जि.एवं स.न्यायाधीश,भ्र 0 नि0,
सी.बी.आई. कोर्ट नं0–1,लखनऊ।
09.11.2022

Digitally signed by Kavita Mishra
Date: 2022.11.16 10:58:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court